# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

**पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 52/2021

**उनवान**

बरदीचंद पिता श्री दोला जाति भील आयु बालिग निवासी प्रतापपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

............. प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़।

............विपक्षी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – अर्जुनसिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

**निर्णय** दिनांक 12.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गौराकिया प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 06.08.1958 स्व0 हीरा पिता श्री गंगा भील के खाते की खाता संख्या 16 खसरा संख्या 18, (20, 23, 24, 25, 26), 22, 47, 48, 49 कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा की विरासत का इन्तकाल श्री नंदा, दोला, लक्ष्मण, प्यारा, कजोड, मोहन, हरलाल, रूपा पिता हीरा भील निवासी प्रतापपुरा के नाम विरासत खोलने की स्वीकृति हुई थी, जो बाद में ग्राम गोराकिया की जमाबंदी सम्वत 2020–23 की खाता संख्या 38 खसरा संख्या 18, (20, 23, 24, 25, 26), 22, 47, 48, 49 कुल किता 06 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा खाते में नंदा, दीपा, लक्ष्मण, प्यारा, कजोड, मोहन, हरला, रूपा पिता हीरा भील खाते दर्ज रिकार्ड है, स्व हीरा जीकी विरासत का नामान्तरण खोलते वक्त प्रार्थी के पिता का नाम दोला दर्ज था, लेकिन जमाबंदी खताते वक्त दोला की जगह प्रार्थी के पिता का नाम दीपा दर्ज कर दिया है, जिसे दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना न्यायालय में पेश किया है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात की वर्तमान जमाबंदी ग्राम गोराकिया की खाता संख्या 43 खसरा संख्या 21, 22, 23, 24 कुल किता 04 कुल रकबा 2.68है0 कृषि भूमि खाते में भंवरलाल, मांगीलाल, छोटूलाल, रामलाल तिपा नंदा, रतनी भूली पिता नंदा, नंदू बेवा नंदा, दीपा, लक्ष्मण, प्यारा पिता हीरा नारायण बेवा कजोड भील सा. प्रतापपुरा खाते दर्ज रिकार्ड है। जो पुराने आराजी संख्या 18, (20, 23, 24, 25, 26), 22, 47, 48, 49 कुल किता 06 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा से बने है, जिसकी मिलानशीट से मिलान हो रहा है। इसी प्रकार ग्राम गोराकिया की जमाबंदी सम्वत 2073–76 की खाता संख्या 3 खसरा संख्या 198, 201, 202, 206 किता 04 रकबा 1.63है0 जो खाते में ईश्वर जमना बाई पिता नानूराम, डाली बाई पत्नि नानूराम 1/3, बरदीचंद पिता दोला, नंदू बेवा दोला, 2/3 भील सा. प्रतापपुरा दर्ज रिकार्ड है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का नाम दोला पिता हीरा ही है तथा नामान्तरण संख्या 14 में भी प्रार्थी के पिता का नाम दोला ही विरासत से आया है लेकिन जमाबंदी खताते वक्त पटवारी [illegible] हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूल एवं त्रृटिवश प्रार्थी के पिता का [illegible] के बजाये दीपा दर्ज कर दिया है, जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] अन्त में ग्राम गोराकिया प0ह0 तम्बोलिया की वर्तमान खाता संख्या 44 [illegible] कुल किता 04 कुल रकबा 2.68है0 कृषि भूमि आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम [illegible] की जगह दोला किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 14:00:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम गोराकिया प0ह0 तम्बोलिया की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 44 कुल किता 4 रकबा 2.68 है0 दीपा पुत्र हिरा हिस्सा 1/12 जाति भील सा. प्रतापपुरा सा. देह शेष खातेदार बदस्तुर जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरण संख्या 14 से खाता संख्या 16 खसरा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

संख्या 18, (20, 23, 24, 25, 26), 22, 47, 48, 49 कुल किता 06 रकबा 921/3 में श्री हीरा पिता मांगा भील का विरासत इंतकाल से श्री नन्दा, दौला, लक्ष्मण, प्यारा, कजोड, मोहन, हरला, रूपा पिता हीरा भील सा. प्रतापपुरा हिस्सा बराबर दर्ज करने की स्वीकृति हुई परन्तु आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2020–23 की खाता संख्या 38 कुल किता 6 कुल रकबा 921/3 में श्री नन्दा, दीपा, लक्ष्मण, प्यारा, कजोड, मोहन, हरला, रूपा पिता हीरा भील सा0 प्रतापपुरा दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबन्दी 2076–79 में खाता संख्या 44 खसरा संख्या 21, 22, 23, 24, कुल किता 04 रकबा 2.68हे0 भूमि छोटूलाल पिता नन्दा, दीपा पिता हीरा, नाराणी पत्नि कजोड, प्यारा पिता हीरा, मूली पिता नन्दा, भंवरलाल पिता नन्दा मु. नन्दु पत्नि नन्दा, मांगीलाल पिता नन्दा, रतनी पिता नन्दा, रामलाल पिता नन्दा,लक्ष्मण पिता हीरा दर्ज रिकार्ड है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 तम्बोलिया रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम दीपा के स्थान पर दौला किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

## –:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोराकिया प0ह0 तम्बोलिया के आराजी संख्या 21, 22, 23, 24 कुल किता 04 कुल रकबा 2.68है0 भूमि में प्रार्थी के पिता नाम दीपा के स्थान पर दोला किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौडगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 14:00:43 IST
Reason: SelfAttested